12-01-2022–

पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल सवाराम पुत्र कालाजी, जाति– गमेती, निवासी– वास, पुलिस थाना रोहिडा उपस्थित। गैरसायल की ओर से वकील श्री राजेश मेघवाल उपस्थित। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल के वकील की बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसालय को सिरोही जिले से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल ने गैरसायल के विरुद्ध दर्ज धारा 16/54 व 19/54 आबकारी अधिनियम के मुकदमों में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करने के कारण गैरसायल को न्यायालय ने दोष सिद्ध ठहराया है। गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 19.8.2021 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। गैरसायल ने कभी शांतिभंग न[illegible] है जो मजदूरी कर अपना गुजारा क[illegible] गैरसायल वर्तमान में किसी भी [illegible] गैरसायल ने [illegible] इसलिये गैरसायल के [illegible] को ड्रॉप किया जावे।

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:06:47 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल दिनेश कुमार पुत्र गोविन्द राम, जाति–यादव, निवासी– छावणी, शिवगंज के विरुद्ध पुलिस थाना रोहिडा में धारा 16/54 आबकारी अधिनियम के तहत अपराध संख्या 65 दिनांक 28.5.2006 एवं 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत अपराध संख्या 112 दिनांक 03.11.2016, अपराध संख्या 105 दिनांक 06.8.2019 व अपराध संख्या 106/19.8.2021 को दर्ज हुये। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार उक्त मुकदमों में गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें धारा 19/54 आबाकारी अधिनियम के तहत दर्ज उक्त तीन मुकदमों में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज अपराध संख्या 105 दिनांक 06.8.2019 व 106 दिनांक 19.8.2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां व इन दोनों मुकदमों में प्रस्तुत आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त अपराध संख्या 105 दिनांक 06.8.2019 व 106 दिनांक 19.8.2021 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 11.9.2019 व 13.9.2021 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(IV) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है, किन्तु दिनांक 19.8.2021 के बाद गैरसायल के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुये गैरसायल सवाराम पुत्र कालाजी, जाति– गमेती, निवासी– वासा, पुलिस थाना रोहिडा, जिला– सिरोही को राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 15 दिन की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, रोहिडा से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, रोहिडा की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, रोहिडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:06:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही